



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1428/2026/2003/22-2-2025-17(194)/2009
लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी ज्ञान प्रकाश (बन्दी सं०-41924) पुत्र श्री उमाशंकर राय, ग्राम-लखमीपुर, थाना-जलालपुर, जनपद-जौनपुर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-संख्या-203/1984 में भा०द०वि० की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के आदेश दिनांक 27.02.1996 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2005 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, जेल रिपोर्ट दिनांक 25.03.2025 के अनुसार, बन्दी द्वारा दिनांक 30.03.2024 तक अपरिहार 39 वर्ष 10 माह 20 दिन तथा सपरिहार 49 वर्ष, 03 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1428/2026/2003 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, 30प्र०।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
- 3- पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि०) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम 30प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।
- 6- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को क्रिमि० मिस० रिट याचिका संख्या-4978/2025 ज्ञान प्रकाश बनाम 30प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2025 के सन्दर्भ में।
- 7- निजी सचिव, मा० मंत्री/ मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।